निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 640) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

11 मई 2015

सं0 22 / नि0सि0(दर0)–16–13 / 2011 / 1064—श्री रामस्वरूप राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सं0–01, राजनगर द्वारा अपने उक्त पदस्थापन के दौरान बरती गई कतिपय अनियमितताओं के संबंध में मुख्य अभियंता, दरभंगा द्वारा पत्रांक 1716 दिनांक 10.08.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि नहर का रूपांकित जलश्राव 4950 घनसेक के विरूद्ध मात्र 1200 घनसेक जलश्राव में ही नहर का दायॉ भाग का टूटान हो गया। अतः नहर के जलश्राव के समय चौकसी एवं निगरानी नहीं बरतने, कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही के कारण नहर टूटने इत्यादि प्रथम दृष्टया प्रमाणित गंभीर आरोपों के लिए श्री राम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1) के तहत अधिसूचना संख्या 1292 दिनांक 17.10.2011 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सह पठित ज्ञापांक 1607 दिनांक 27.12.2011 द्वारा श्री राम के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के क्रम में पाया गया कि श्री राम, कार्यपालक अभियंता को निलंबन अवधि दो वर्ष से अधिक हो गई है जबकि दो वर्ष से अधिक निलंबन नहीं होना चाहिए। अतः विभागीय कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना श्री राम को निलंबन मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में अधिसूचना सं0 1402 दिनांक 22.09.14 द्वारा श्री राम को निलंबन मुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि जॉच प्रतिवेदन में कई तथ्यात्मक समीक्षा किये बिना मात्र अस्पष्ट निर्णय अंकित किया गया। अतः जॉच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया। सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में पत्रांक 1797 दिनांक 01.12.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राम के विरूद्ध निम्न आरोप प्रमाणित पाया गयाः–

1. नहर बॉध में हो रहे रिसाव को नहीं देखना तथा रिसाव को ससमय रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करने के फलस्वरूप नहर में टूटान हो गया एवं टूटान भराई कार्य में सरकारी राशि का अपव्यय होना।

2. नहर टूटान का ससमय सूचना मुख्यालय को नहीं देना।

3. मनमाने ढंग से मुख्यालय से बाहर रहने के कारण नहरों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं करना तथा अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी पर नियंत्रण नहीं रहना।

4. वर्ष 2010–11 में नहर बॉध के प्राक्कलन एवं श्रमशक्ति की स्वीकृति के बावजूद उच्चाधिकारियों के निदेश के अवहेलना करते हुए आवश्यक सम्पोषण कार्य नहीं कराना तथा राशि को प्रत्यार्पन कर देना।

5. वर्ष 2011–12 में नहर सम्पोषण कार्य को कराने में लापरवाही बरतते हुए प्राक्कलन विलम्ब से समर्पित करना फलतः ससमय मरम्मति कार्य नहीं होने के फलस्वरूप टूटान होना।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गयाः–

1. दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. निलंबन अवधि में देय वेतन भत्ता के अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगा परन्तु निलंबन अवधि का पेंशन प्रयोजनार्थ गणना की जाएगी।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उक्त दण्ड श्री रामस्वरूप राम, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल सं0–01, राजनगर को दिया एवं संसूचित कियार जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 640-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in